न्यायालय अपर जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री छगन लाल गोयल आर0ए0एस0

राजस्व अपील सं. : 80 / 2016
अपीलान्ट्स

नगाराम उर्फ नगिया पुत्र श्री भोजाराम, जाति मेघवाल, निवासी ग्राम सेखाला, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर

ब ना म

रेस्पोडेन्ट

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बालेसर, जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध नामान्तरकरण संख्या 1111 (69) ग्राम सेखाला दिनांक 07.10.2009 को उप तहसीलदार बालेसर, जोधपुर के द्वारा स्वीकृत किया गया।

उपस्थित
01 अपीलान्ट की ओर से अभिभाषक श्री नाहर सिंह सोलंकी
02 रेस्पोडेन्ट की ओर से सरकारी पेरोकार अनुपस्थित

आदेश

दिनांक :– 15.12.2017

यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत विरुद्ध नामान्तरकरण संख्या 1111 दिनांक 07.10.2009 ग्राम सेखाला का जो उपतहसीलदार बालेसर द्वारा स्वीकृत किया गया है के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि उपतहसीलदार बालेसर द्वारा दिनांक 07.10.2009 को उक्त नामान्तरकरण स्वीकृत किया जो ग्राम सेखाला के खसरा न0 711 रकबा 0.03 बीघा, ख न0 712 रकबा 8.08 बीघा कुल 8.11 बीघा है । जिसके संबंध में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के प्रकरण रिव्यू एलआर न0 175 / 2010 जिला जोधपुर अन्तर्गत रेफरेन्स एलआर एक्ट न0 6479 / 2007 / जोधपुर जिसका निर्णय दिनांक 21.05.2009 को किया गया था। जिसमें प्रार्थी नगा राम की ओर से माननीय राजस्व मण्डल में उक्त रिव्यू प्रार्थना पत्र पेश किया गया जिसमें माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा दिनांक 04.01.2011 को यह निर्णय दिया गया कि राजस्व अपील प्राधिकारी के निर्णय दिनांक 16.05.2007 में उपखण्ड अधिकारी को प्रति प्रेशित किये गये प्रकरण को पुनः नम्बर पर लेकर कार्यवाही की जावे । उक्त प्रकरण में राज्य सरकार की पक्षकार है। परन्तु उपतहसीलदार बालेसर द्वारा उक्त म्यूटेशन स्वीकृत करने के बाद माननीय राजस्व मण्डल के द्वारा दिनांक 04.01.2011 को आदेश पारित किया जिसकी पालना में म्यूटेशन निरस्त योग्य है । इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की है।

अपीलार्थी के अभिभाषक द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत करने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को नोटिस जारी किये गये जो विधिक तौर पर तामिल होना पाया गया। प्रकरण में अपीलान्ट अभिभाषक की एक पक्षीय बहस सुनी गई।

अपीलान्ट के विद्धवान अभिभाषक ने अपनी बहस शुरु करते हुए प्रस्तुत अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि उपतहसीलदार बालेसर द्वारा

दिनांक 07.10.2009 को उक्त नामान्तरकरण स्वीकृत किया जो ग्राम सेखाला के खसरा न0 711 रकबा 0.03 बीघा, ख न0 712 रकबा 8.08 बीघा कुल 8.11 बीघा है । जिसके संबंध में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के प्रकरण रिव्यू एलआर न0 175/2010 जिला जोधपुर अन्तर्गत रेफरेन्स एलआर एक्ट न0 6479/2007/जोधपुर जिसका निर्णय दिनांक 21.05.2009 को किया गया था। जिसमें प्रार्थी नगा राम की ओर से माननीय राजस्व मण्डल में उक्त रिव्यू प्रार्थना पत्र पेश किया गया जिसमें माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा दिनांक 04.01.2011 को यह निर्णय दिया गया कि राजस्व अपील प्राधिकारी के निर्णय दिनांक 16.05.2007 में उपखण्ड अधिकारी को प्रति प्रेशित किये गये प्रकरण को पुनः नम्बर पर लेकर कार्यवाही की जावे । उक्त प्रकरण में राज्य सरकार की पक्षकार है। परन्तु उपतहसीलदार बालेसर द्वारा उक्त म्यूटेशन स्वीकृत करने के बाद माननीय राजस्व मण्डल के द्वारा दिनांक 04.01.2011 को आदेश पारित किया जिसकी पालना में म्यूटेशन निरस्त योग्य है ।

अपीलार्थी के विद्धवान अभिभाषक ने अपने बहस में यह भी कथन किया कि उप तहसीलदार बालेसर द्वारा राजस्व मण्डल के निर्णय दिनांक 21.05.2009 की पालना में स्वीकृत किया गया था, परन्तु माननीय राजस्व मण्डल द्वारा रिव्यू प्रार्थना पत्र का निर्णय बाद में अर्थात दिनांक 04.01.2011 को किया गया था। जिसमें यह निर्देश दिये गये कि उक्त म्यूटेशन जिसके द्वारा भूमि राज्य सरकार के पक्ष में दर्ज की गई है उसे निरस्त करते हुए पूर्व खातेदार अपीलान्ट नगाराम के नाम से खातेदारी दर्ज की जाये।

अपीलान्ट अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान यह भी कथन किया कि उप तहसीलदार बालेसर द्वारा मौके की जांच नहीं की न ही पूर्व खातेदार से विधिवत कोई कब्जा प्राप्त किया न ही भूमि का प्रतिफल/मूवाजा नहीं दिया गया। ऐसी स्थिति में भारतीय संविधान के अनुछेद 300क में यह प्रावधान है कि किसी भी नागरिक को अपनी संपत्ति से बिना प्रतिफल दिये वंचित नहीं किया जा सकता । इस प्रकरण में वास्तविक वस्तु स्थिति के विपरित कार्यवाही की गई है। अतः वर्तमान में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा पारित निर्णय की पालना में म्यूटेशन निरस्त किया जाकर दिनांक 07.10.2009 के पूर्व की स्थिति को बहाल की जाकर अपीलान्ट के नाम खातेदारी भूमि दर्ज करने का निवेदन किया ।

अपीलान्ट अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान न्यायालय का ध्यान इस ओर दिलाया कि अपीलान्ट गरीब व अनपढ किसान है जिसे उक्त म्यूटेशन की पूर्व में कोई जानकारी नहीं थी। उप तहसीलदार बालेसर द्वारा कोई सुनवाई का अवसर नहीं दिया न ही नोटिस दिया गया। अभी हाल ही में दिनांक 06.12.2016 को हलका पटवारी से जानकारी प्राप्त होने पर नकल प्राप्त की और नकल मिलते ही समयावधि में अपील दायर कर दी है । विलम्ब को समा करने का निवेदन किया ।

हमने अपीलान्ट अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध ग्राम सेखाला के नामान्तरकरण संख्या 1111 का अवलोकन किया जिसके कॉलम सं 14 में यह अंकित किया गया है कि ''श्रीमान् न्यायालय अपर जिला कलक्टर महोदय (प्रथम) के फैसला दिनांक 16.10.2006 एवं राजस्व रेफरेन्स 2/2002 सरकार बनाम हमीरसिंह निर्णय दिनांक 16.10.2006 में राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के आदेश दिनांक 21.05.2009 की पालना तथा श्रीमान् तहसीलदार सा शेरगढ के आदेश क्रमांक/भूअ /2311–13 दिनांक 05.09.2009 की पालना में नामान्तरकरण भरा गया''

माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर के नजरसानी/रेफरेन्स/एलआर/175/2010/जोधपुर नगाराम बनाम सरकार व अन्य के निर्णय दिनांक 04.01.2011 के अनुसार यहां यह भी अवलोकनीय है कि जिला कलक्टर द्वारा रेफरेंस प्रेषित करते समय इस तथ्य की ओर ध्यान नहीं दिया गया कि राज्य सकार द्वारा प्रकरण में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42 (बी) के उल्लंघन के फलस्वरूप सपठित धारा 175 के अन्तर्गत कोई वाद नहीं लाया गया है। बिना उक्त वाद लाये अतिरिक्त जिला कलक्टर, जोधपुर ने रेफरेंस में उक्त आश्य का अनुशंषा करने हेतु सक्षम ही नहीं थे। अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वारा अपने निर्णय में विचारण न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 22.03.2001 को निरस्त करने के साथ उक्त भूमि को सिवायचक दर्ज करने हेतु प्रकरण प्रतिप्रेषित किया है जो प्रथम दृष्टतया स्वीकार योग्य नहीं। अतः राजस्व मण्डल द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को बेदखल करने एवम भूमि को राजस्व रेकर्ड में सिवायचक दर्ज करने के आदेश देना विधिक त्रुटि (patent illegality) की श्रेणी में आता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रस्तुत नजरसानी स्वीकार किये जाने योग्य है। माननीय एकल पीठ द्वारा प्रदत्त निर्णय को संशोधित करते हुए उक्त रेफरेंस के क्रम में आदेश प्रदान किया जाता है कि विचारण न्यायालय द्वारा राजस्व वाद संख्या 85/99 एवम 303/99 में प्रदत्त निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.03.2001 को राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर द्वारा अपील संख्या 009/2007 में प्रदत्त निर्णय दिनांक 16.05.2007 से अपास्त कर देने के कारण प्रश्नगत रेफरेंस में विचाराधीन निर्णय व डिक्री को अपास्त करने की आवश्यकता ही नहीं है। प्रस्तुत रेफरेंस निष्प्रभावी (infructuous) होना निर्णित किया जाता है।

अतः माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल, राजस्थान अजमेर के प्रकरण नजरसानी/रेफरेंस/एल0आर0/175/2010/जोधपुर नगाराम बनाम सरकार व अन्य निर्णय दिनांक 04.01.2011 के निर्णय को मद्देनजर रखते हुए उप तहसीलदार बालेसर द्वारा ग्राम सेखाला के नामान्तकरण संख्या 1111 दिनांक 07.10.09 को अपास्त किया जाता है। इस प्रकरण में अन्य न्यायालय से किसी प्रकार का कोई स्थगन आदेश नहीं है तो तहसीलदार, बालेसर राजस्व रेकर्ड में उक्त निरस्त नामान्तकरण संख्या 1111 दिनांक 07.10.2009 से पूर्व की स्थिति बहाल करे।

(छगन लाल गोयल)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

निर्णय आज दिनांक 15.12.2017 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(छगन लाल गोयल)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर